



UPHR010083982025

न्यायालय- सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या-716/2025

आलोक शर्मा आदि बनाम सरकार

निस्तारण प्रार्थनापत्र 3 अ अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम**दिनांक 11.03.2026**

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर प्रार्थीगण आलोक शर्मा आदि व विपक्षी सुनहरी शर्मा के विद्वान अधिवक्तागण व राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सुनहरी शर्मा के विद्वान अधिवक्ता व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थीगण के विरुद्ध परिवादिनी सुनहरी शर्मा द्वारा न्यायालय सि० जज जू०डि०/एफ०टी०सी०, हरदोई के न्यायालय में परिवाद सं०-18501 / 2024 थाना-हरपालपुर जिला-हरदोई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में वाद लेने साक्ष्य प्रार्थीगण को अं० धारा-323,498 ए,504,506 आई.पी.सी. व 3/4 डी.पी.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2025 को तलब कर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया, जिसकी सूचना सम्मानित न्यायालय द्वारा भेजे गये समन के माध्यम से प्रार्थीगण को प्राप्त हुयी। तब प्रार्थीगण ने न्यायालय आकर जानकारी की तो उक्त मुकदमे में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 08.08.2025 की जानकारी हुयी। प्रार्थीगण ने दिनांक-28.10.2025 को पारित उक्त प्रश्नगत आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु नकल सवाल प्रस्तुत किया जिसकी नकल प्रार्थीगण को दिनांक 21-11-2025 को प्राप्त हुयी है। तदुपरान्त प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष निगरानी अं० धारा-438 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि अन्दर मियाद है। प्रार्थीगण के विरुद्ध पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 08.08.2025 के बन रहने से प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः आदेश दिनांकित 08.08.2025 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी सुनहरी शर्मा की ओर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अं० धारा 5 मियाद अधिनियम पर आपत्ति 8 ब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी जानबूझकर काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई सम्यक व उचित कारण नहीं दर्शया गया है। निगरानीकर्तागण को उक्त वाद की जानकारी पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को माह सितम्बर सन् 2025 को रजिस्ट्री भेजी, जिससे निगरानीकर्ता को उक्त वाद की जानकारी हो गयी। विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण के विरुद्ध पुनः जमानती वारण्ट जारी करने के आदेश किये जाने पर निगरानीकर्तागण वाद को लिंगरआन लंबित रखने हेतु व उत्तरदाता संख्या 02 को हैरान व परेशान करने हेतु उक्त निगरानी काफी विलम्ब से प्रस्तुत की है। उक्त आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अं०धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अं०धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.08.2025 के विरुद्ध निगरानी दाखिल करने हेतु यह प्रार्थनापत्र दिनांक 04.12.2025 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया

है कि न्यायालय द्वारा समन भेजे जाने पर उन्हें उक्त आदेश की जानकारी हुई। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 28.10.2025 को नकल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त दिनांक 21.11.2025 को नकल प्राप्त होना कहा गया है। उक्त नकल आदेश मूल रूप से पत्रावली पर संलग्न है।

प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। नैसर्गिक न्याय का यह सिद्धांत है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना चाहिए। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण आलोक शर्मा आदि की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मुव० 1000 (एक हजार हजार) रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। बाद अदायगी हर्जा पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 10.04.2026 को पेश हो।

दिनांक: 11.03.2026

(रीता कौशिक)

सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।